

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : देवेन्द्र कुमार आई०ए०एस०

अपील संख्या० APS2012G270126776061 11/2026

APS2012G080226765735

प्रिति बैरवा, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा पोस्ट श्यामपुरा कलां,
तहसील निर्झरना जिला दौसा राज०।

....अपी०

बनाम

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.2026 एवं 07.02.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(एसडीएम) लालसोट

रेसपो०

निर्णय

दिनांक 13.03.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा अपना नाम रामसिंहपुरा, पो. श्यामपुरा कलां लालसोट की मतदाता सूची में जोड़ने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S2008906N1501261200025) एवं (Ref. no.S2008906N3101261200001) प्रस्तुत किये गये थे। जिनको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा नाम जोड़ने का आवेदन प्रारूप 6 को अस्वीकार कर दिये गये। अपीलांत द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट के उक्त आदेश दिनांक 27.01.2026 एवं 07.02.2026 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपीलों के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट से इस न्यायालय के पत्रांक 1617 दिनांक 12.03.2026 चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट के पत्रांक 387 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में बीएलओ द्वारा अपीलांत के आवेदन को भौतिक सत्यापन में रिजेक्ट कर दिया गया जिसके आधार पर आईआरओ व ईआओ द्वारा भी अस्वीकार किया गया।

पुनश्च: बीएलओ द्वारा अपीलांत की पहचान से संतुष्ट होने के उपरान्त दिनांक 09.02.2026 को पुनः नाम जोड़ने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया गया। जिस पर सभी स्तरों से सत्यापित होने के उपरान्त दिनांक 10.03.2026 को ई-रोल अपडेट कर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया है।



जिला कलेक्टर
दौसा



उपरोक्त रिपोर्ट के विवेचन के अन्तर्गत अपीलान्त का नाम जोडने का आवेदन प्रपत्र 6 जो कि बीएलओ द्वारा सही पहचान नहीं होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा अस्वीकार किया गया। चूंकि बीएलओ द्वारा अपीलान्त की पहचान से संतुष्ट होने के उपरान्त अपीलान्त का पुनः नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया जाकर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया है। अपीलान्त का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने के कारण अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 13.03.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रिकत कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा